

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2738 / 2023 दिनांक : 12-09-2023

श्री शैलेश जड़िया (RJ0489 अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर को दिनांक 21.08.2023 से 23.08.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री जड़िया की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-03, भरतपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/41/2005/ 5902

दिनांक : 12-09-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 4627 दिनांक 28.08.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री शैलेश जड़िया (RJ00489), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भरतपुर।
4. अति. सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, भरतपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-03, भरतपुर।

सहायक रजिस्ट्रार